

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो. नि. विभाग, गाजीपुर

पत्रांक :.....734/1भवन.....

दिनांक :.....16/03/19.....


सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल, वाराणसी

विषय : नेशनल बिल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आपका पत्रांक एन.ओ.सी./14583-86/2018-19 दिनांक 07-03-2019


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि सेंट जेवियर्स स्कूल, सैदपुर, भितरी मोड़, गाजीपुर के भवन निर्माण में आर.सी.सी. कॉलम एवं आर.सी.सी. बीम का प्राविधान किया गया है। छत आर.सी.सी. स्लैब संरचना की है तथा दरवाजा व खिड़की के ऊपर आर.सी.सी. लिंटर दिया गया है। अतः भवन टिकाऊ, सुरक्षित एवं भार वहन धारण करने में सामर्थ्यवान है।


अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.भवन
गाजीपुर

पत्रांक :.....

दिनांक.....


1. प्रतिलिपि, प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, सेंट जेवियर्स स्कूल, सैदपुर भितरी मोड़, गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि, अवर अभियन्ता (प्रा.), प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग, गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता
प्रा. खण्ड, लो.नि. भवन
गाजीपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी
चेकलिस्ट

सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.सी. विद्यालय (कक्षा -6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच संख्या
भवन की चेकलिस्ट		
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानिय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.180 हेक्टेयर (1800 वर्ग मी.) है?	हाँ
5	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में स्टेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ/नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या प्रमुख पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है?	नहीं/03मीटर
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी?	आर.सी.सी. छत है
10	क्या भवन की दीवार ईट एवं पत्थर की सीमेण्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन दीवारें /छतों में क्रैक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी. (ढंडे क्षेत्रों में 3.0 मी.) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है?	हाँ
14	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ/नहीं
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजे की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी. ऊँचाई 2.0 मी.) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मी.मी., ट्रेड 300 मी.मी. तथा राइजर 150 मी.मी. है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (Fire aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालयों के छात्रों /अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) स्थापित है?	हाँ


 सहायक अभियन्ता
 प्रा.खण्ड, लो. नि. विभाग
 गाजीपुर
 प्रा. खण्ड, लो. नि. विभाग
 गाजीपुर